

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-17 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. परशुराम पुत्र रामलाल नि० बसंतपुर राजा कोरियनपुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-190/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश कुमार गुप्ता पुत्र रामराज शुक्ला नि० ग्राम शिवानगर मौजा राजापुर परसौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-129/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. धर्मेन्द्र पुत्र गनपत सिंह नि० ग्राम भुलभुलिया हाता थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-234/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुरेश पुत्र मतई नि० रामपुर रौता मौजा हिंदूनगर बाकी थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-139/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. चिंताराम पुत्र सितऊ नि० ग्राम शक्तिपुरवा मौजा ढोगही थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-116/22, 02. आरती पत्नी हनुमान उर्फ पप्पू नि० ग्राम पंचपुरवा पूरे सुकाली थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-117/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को० करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश कश्यप पुत्र स्व० रामनाथ नि० ग्राम रिसाला थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-260/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.06.2022

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-विक्की यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में लडकी के पिता द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विक्की यादव पुत्र राजाराम नि० खोरिया थाना चरौत सीतामणि बिहार।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-120/2022 धारा 363 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० दुर्गेश कुमार मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.06.2022

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मनोज पाठक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मनोज पाठक पुत्र तुलसीराम पाठक नि० ठकुराहनपुरवा मौजा गौरिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-201/22, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० जयहिन्द मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 27.06.2022

थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम तांबेपुर में दुर्गेश सिंह उर्फ भोलू सिंह हत्या में संलिप्त 02 अभियुक्त घण्टे के अंदर 24 गिरफ्तार-

दिनांक 26.06.2022 को थाना छपिया क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम तांबेपुर निवासी प्रधान प्रतिनिधि दुर्गेश सिंह उर्फ भोलू सिंह की आयोजित भण्डारे के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना छपिया में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा, क्षेत्राधिकारी मनकापुर व प्रभारी निरीक्षक छपिया को घटना का सफल अनावरण कर दोषी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के कड़े निर्देश दिए थे तथा स्वाट / सर्विलांस टीम को भी घटना के खुलासे के लिए लगाया था।

पुलिस अधीक्षक के दिए गए निर्देशों के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक छपिया द्वारा हत्याकाण्ड में संलिप्त 02 आरोपी अभियुक्तों 01. सत्यराम वर्मा पुत्र तेजराम वर्मा, 02. श्रीमती सुभावती पटेल पत्नी बलजीत कुमार पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

.01 मु302,506 धारा ,22 / 163 -0 सं0 अ0 भादवि थाना 0 छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

.01 सत्यराम वर्मा पुत्र तेजराम वर्मा नितांबेपुर थाना छपिया 0 जनपद गोण्डा।

.02 श्रीमती सुभावती पटेल पत्नी बलजीत कुमार पटेल थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

.01 प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार सिंह थाना छपिया जनपद गोण्डा मय टीम।

